**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं.: 320**
**उत्तर देने की तारीखः 15.09.2020**

**ओबीसी का उप-वर्गीकरण**

**320. श्री तालारी रंगैय्याः**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच करने के लिए गठित आयोग का कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी दे दी है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कार्यकाल बढ़ाए जाने के क्या कारण हैं?

**उत्तर**
**सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री**
**(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)**

**(क) और (ख):** जी, हां। अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) के उप-श्रेणीकरण के मुद्दे की जांच करने के लिए स्थापित आयोग का कार्यकाल 31 जनवरी, 2021 तक बढ़ा दिया गया है। कोरोना महामारी की वजह से आयोग 31 जुलाई, 2020 से पहले, सौंपे गए कार्यों को पूरा नहीं कर सका था। आयोग ने प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के साथ परामर्श करना था परंतु महामारी के चलते यह कार्य नहीं हो सका। इसलिए कार्यकाल में विस्तार किया गया है।

******